

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 12.04.2021

थाना भोगनीपुर

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग मु०नं० 90/13 धारा 504/506 भा०द०वि० में वारन्टी अभियुक्त कल्लू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना मंगलपुर

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 164/21 धारा 376बीडी/342/506 भा०द०वि० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सौरभ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 36/19 धारा 125(3) घरेलू हिंसा अधि० में वारन्टी अभियुक्त धानू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना शिवली

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 98/21 धारा 313/120बी भा०द०वि० में वारन्टी अभियुक्त रामू सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 160/21 धारा 18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अभियुक्त अर्जुन नाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 161/21 धारा 18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अभियुक्त विनोद यादव को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 265/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० में अभियुक्तगण शराफत आदि 03 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 11.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 196/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० में अभियुक्त संजीत को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।